


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

निगरानी संख्या- 1314/2007.....

जिला..... नागौर.....

उन्वान-सीताराम पुत्र लिखमाराम प्रजापत, निवासी-लाडनु बनाम राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक, लाडनु व अन्य

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इ हुकम की तारी. में जारी हुए</p>
<p>19.02.2016</p>	<p>एकलपीठ <u>श्री ईश्वरी लाल वर्मा-सदस्य</u></p> <p>प्रार्थी निगरानीकर्ता के विद्वान अभिभाषक श्री अजीत पहाड़िया एवं अप्रार्थी संख्या एक की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री आर. के.अजमेरा उपस्थित।</p> <p>प्रार्थी जरिये अभिभाषक की ओर से विद्वान करने के संबंध में हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र दिनांक 19.02.2016 प्रस्तुत किया, जो पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमें प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी को कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं कलक्टर(मुद्रांक), अजमेर के पत्र क्रमांक 64 दिनांक 25.01.2016 का प्राप्त हुआ, जिसकी पालना में प्रार्थी उक्त प्रकरण का निस्तारण दिनांक 29.02.2016 से पूर्व शेष बकाया राशि जमा करवाकर ब्याज व शास्ति में छुट प्राप्त कर, प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को उक्त अधिसूचना के अनुसार राशि जमा कराने की शर्त पर निगरानी को विद्वान किये जाने की आज्ञा प्रदान की जाये।</p> <p>इस पर विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने प्रस्तुत निगरानी को विद्वान करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की है। अतः प्रस्तुत निगरानी संख्या 1314/2007/नागौर जरिये विद्वान (Withdrawal) खारिज की जाती हैं।</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  (ईश्वरी लाल वर्मा) सदस्य </p>	